[12/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 730]

परिशिष्ट-"तीन"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना म.प्र

क्रमांक / 1523/सतर्कता-2/विस.1376-3220/2018 सतना दिनांक :- 01.02.2018

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
सतना

विषय :- श्री श्रीकान्त पाण्डेय, योजना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं तत्का. सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सतना के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जानें बावत्।

संदर्भ :- आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल का आदेश क्रमांक/स्था01/सत/फ/ विजां / सी/02/सतना/2015/158 दिनांक 25.01.2018

—0—

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र जिसकी प्रति संलग्न है का अवलोकन करना चाहें ।। श्री श्रीकान्त पाण्डेय, योजना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं तत्का. सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सतना द्वारा शहरी विकास अभिकरण सतना में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना " अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से लाभान्वित करानें व पद का दुरूपयोग करते हुए शासन को आर्थिक क्षति पहुंचानें के प्रकरण में लोकायुक्त संगठन रीवा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2014, विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.01.2016 में आरोप प्रमाणित पाये गये हैं ।

उपरोक्त कृत्य के कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है एवं अनियमितता तथा पदीय दुरपयोग के लिए पुलिस में आई.पी.सी.की धारा 420, 409 एवं अन्य लागू होंने वाली धाराओं के तहत दर्ज कराये जानें का निर्देश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिये गये है ।

उक्त आदेश के तहत कलेक्टर महोदय सतना द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जानें हेतु नस्ती पर अनुमोदन दिनांक 01.02.2018 को प्रदान किया गया है , कृपया श्री पाण्डेय के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जानें का कष्ट करें ।।

संलग्न :- 1. लोकायुक्त संगठन की जांच रिपोर्ट- 11.02.2014
2. विभागीय जांच प्रतिवेदन दि. 01.01.2016 के तहत जारी आदेश दि. 11.02.2016
3. संदर्भित पत्र दिनांक 25.01.2018
4. कलेक्टर सतना का पत्र क्रमांक/1070/शिक्षा/विस/1376/2017 दि. 30.10.2017

(कलेक्टर सतना द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सतना म.प्र.

पृ.क्रमांक /1524/ सतर्कता-2/विस.1376-3220/2018 सतना दिनांक :- 01.02.2018

प्रतिलिपि :-
1. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल
2. कलेक्टर जिला सतना
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सतना म.प्र.

अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(क्रम - 4)

परिशिष्ट-दो

लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
ई-मेल dpinmp@sanchamet.in

क्रमांक / स्था.1 / सत. / फ / विजां / सी / 02 / सतना / 2015 / 158 भोपाल,दिनांक 25.01.18

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सतना,मध्य प्रदेश ।

विषयः– श्री श्रीकांत पाण्डेय,योजना अधिकारी,कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में ।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक / 1070 / शिक्षा / विस.1376 / 2017 दिनांक 30.10.2017

---0---

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । आपके द्वारा तत्का.सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सतना में रहते हुए 20 व्यक्तियों को राशि रूपये 50000/–बैंक से ऋण तथा 7500/–रूपये शासकीय अनुदान के रूप में कुल राशि 11.50 लाख(रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) का नियम विरूद्ध तरीके से हितग्राही लाभान्वित किया गया है । इस कारण शासन को राशि रूपये 11.50 लाख(रू.ग्यारह लाख पचास हजार) की क्षति एवं शासन के साथ कूटरचना कर धोखाधडी, अनियमितता के संबंध में आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रकरण में शासन को हुई क्षति व अनियमितता के संबंध में श्री श्रीकांत पाण्डेय,तत्कालीन सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण सतना वर्तमान योजना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के विरूद्ध धारा,420,409 एवं अन्य लागू होने वाली धाराओं के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज करायें।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठ.क्रमांक / स्था.1 / सत. / फ / विजां / सी / 02 / 2015 / सतना / 159 भोपाल,दिनांक 25.01.18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,रीवा संभाग रीवा,मध्य प्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना मध्य प्रदेश ।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
लोक शिक्षणमध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

परिशिष्ट-तीन

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
WP-2484-2018

(SHRIKANT PANDEY Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH)

2

Jabalpur, Dated : 05-02-2018

Shri K.C. Gildayal, learned counsel for the petitioner.

Ms. Jahnvi Pandit, learned Government Advocate for the respondents/State.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

Issue notice to the respondents on payment of process fee within seven days.

Notices be made returnable in four weeks.

Till the next date of hearing, operation of the impugned order dated 25.01.2018 shall remained stayed.

List the matter in the **week commencing 05.03.2018.**

C.C. as per rules.

(MISS VANDANA KASREKAR)
JUDGE

Pallavi

TRUE COPY
High Court of Madhya Pradesh

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)